दिनांक 14.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 20/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा ''CISO साइबर सुरक्षा निर्देशिका'' पुस्तक का विमोचन किया गया

आज दिनांक 14.08.2025 को **श्री राजीव कृष्णा, पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0** द्वारा पुलिस मुख्यालय में **''CISO साइबर सुरक्षा निर्देशिका''** का विमोचन किया गया, जिसे साइबर सुरक्षित पुलिस बल के निर्माण हेतु प्रत्येक स्तर के पदाधिकारी के लिये व्यवहारिक संदर्भ में तैयार किया गया है।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 महोदय द्वारा श्री नवीन अरोरा, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय, उ0प्र0 (CISO, UP Police) के मार्गदर्शन में तकनीकी सेवायें मुख्यालय की साइबर सुरक्षा टीम के अथक प्रयासों की सराहना करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों से अपेक्षा की गयी वे इस पुस्तिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर इसमें दिये गये सुझावों को अपने दैनिक कार्य में अपनाकर नागरिको के लिये एक सुरक्षित, विश्वसनीय और स्थिर डिजिटल वातावरण तैयार करें।

इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक, साइबर सुरक्षा, अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ ऑफीसर, अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय, पुलिस उपमहानिरीक्षक, तकनीकी सेवायें मुख्यालय एवं प्रभारी निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला उपस्थित रहे।

दिनांक 14.08.2025
प्रेस विज्ञप्ति 21/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

एसटीएफः छत्तीसगढ़ पुलिस अभिरक्षा से फरार एवं जनपद औरैया से वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ राहुलदेव जनपद कुशीनगर से गिरफ्तार।

दिनांक 13–08–2025 को एसटीएफ उ0प्र0 को छत्तीसगढ़ पुलिस अभिरक्षा से फरार एवं थाना अजीतमल जनपद औरैया में पंजीकृत मु0अ0सं0 302/2025 धारा 265 बी0एन0एस0 में वांछित रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ राहुल देव को जनपद कुषीनगर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम–

धर्मेन्द्र उर्फ राहुलदेव पुत्र स्व0 हेमराज उर्फ राज नि0–लोहापट्टी भागीरथ थाना मिलक जनपद रामपुर।

गिरफ्तारी का स्थान व समय–

पडरौना से ग्राम कुमरौल जाने वाले मार्ग पर नहर छपार स्थान से, थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर। दिनांक– 13–08–2025 समय– 19:20 बजे।

एसटीएफ, उत्तर प्रदेश के वांछित एवं पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न टीमों एवं इकाइयों को अभिसूचना संकलन व कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। जिसके क्रम में श्री अब्दुल कादिर, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई बरेली के पर्यवेक्षण में अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान उ0नि0 अमित कुमार के नेतृत्व में मु0आ0 संदीप कुमार, मु0आ0 रामजीलाल, मु0आ0 अरूण कुमार व आरक्षी संजय यादव व मु0आ0 चालक मनोज कुमार अवस्थी की टीम जनपद–कुशीनगर में भ्रमणशील थी। इस दौरान ज्ञात हुआ कि दिनांक 27–07–2025 को छत्तीसगढ पुलिस अभिरक्षा से फरार एवं थाना

क्षेत्र अजीतमल जनपद औरैया के मुकदमें में वांछित रूपये 50 हजार का पुरस्कार घोषित अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ राहुलदेव वर्तमान में जनपद कुशीनगर के थाना क्षेत्र पडरौना में कहीं छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर एसटीएफ टीम द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त को ग्राम कुमरौल जाने वाले मार्ग पर नहर छपार से गिरफ्तार कर लिया गया।

अभियुक्त धर्मेन्द्र उपरोक्त ने बताया कि वह थाना मिलक, जनपद रामपुर का एचएस नं0 213ए हिस्ट्रीशीटर है। वह मु0अ0सं0 85/2024 धारा 20(6)2(सी) थाना कोतवाली कोण्डागांव, जनपद बस्तर में केन्द्रीय कारागार जगदलपुर में निरूद्ध था। थाना उत्तम नगर, नई दिल्ली के मु0अ0सं0 1250/2015 धारा 411 भादवि में मा0 न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी 08 दक्षिण पश्चिम जिला कोर्ट नं0–309 द्वारिका नई दिल्ली में पेषी हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा ले जाया गया था। मा0 न्यायालय में पेशी से वापस आते समय अभियुक्त उपरोक्त इटावा–कानपुर मार्ग पर थाना अजीतमल जनपद औरैया क्षेत्र से पुलिसकर्मी को चकमा देकर भाग गया। जिसके विरूद्ध थाना अजीतमल जनपद औरैया में पंजीकृत मु0अ0सं0 302/2025 धारा 265 बी0एन0एस0 पंजीकृत हुआ था। जिसमे इसके गिरफ्तारी हेतु रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित था।

अभियुक्त धर्मेन्द्र उर्फ राहुलदेव का अपराधिक आपराधिक इतिहासः–

1– मु0अ0सं0 1250/2015 धारा 411 भादवि थाना उत्तम नगर नयी दिल्ली

2– मु0अ0सं0 101/2016 धारा 392, 411 भादवि थाना मीरगंज जनपद बरेली।

3– मु0अ0सं0 165/2016 धारा 398, 401 भादवि थाना हल्द्वानी उत्तराखण्ड।

4– मु0अ0सं0 169/2016 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हल्द्वानी उत्तराखण्ड।

5– मु0अ0सं0 177/2016 धारा 379, 411 भादवि थाना मिलक जनपद रामपुर।

6– मु0अ0सं0 197/2016 धारा 3(1) उ.प्र. गैंगस्टर एक्ट थाना मिलक जनपद रामपुर

7– मु0अ0सं0 238/2016 धारा 380, 357, 411 भादवि थाना मिलक, रामपुर।

8– मु0अ0सं0 282/2016 धारा 147, 148, 149, 307, 420 भादवि थाना मिलक, रामपुर।

9– मु0अ0सं0 306/2017 धारा 307, 399, 402 भादवि थाना मिलक रामपुर।

10– मु0अ0सं0 307/2017 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शहजादपुर जिला रामपुर।

11– मु0अ0सं0 278/2018 धारा 392, 395, 412 भादवि थाना नागलोई नई दिल्ली।

12— मु0अ0सं0 40/2023 धारा 380, 411 भादवि थाना मिलक जनपद रामपुर।

13— मु0अ0सं0 53/2023 धारा 380, 411 भादवि थाना मिलक जनपद रामपुर।

14— मु0अ0सं0 54/2023 धारा 380, 411 भादवि थाना मिलक जनपद रामपुर।

15— मु0अ0सं0 53/2023 धारा 380, 411 भादवि थाना मिलक जनपद रामपुर।

16— मु0अ0सं0 85/2024 अन्तर्गत धारा 20 (b) (ii) (c) NDPS एक्ट थाना कोण्डागाँव छ.ग.।

17— मु0अ0सं0 302/2025 धारा 262 बी.एन.एस. थाना कोतवाली अजीतमल जिला औरैया।

जनपद कौशाम्बी/थाना सराय अकिल

• 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनॉकः 14.08.2025 को थाना सराय अकिल व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त रामदास को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना सराय अकिल पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, गुण्डा एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 25 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सराय अकिल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रामदास निवासी कोटिया थाना सराय अकिल जनपद कौशाम्बी।

जनपद सहारनपुर/थाना सरसावा

• 02 अभियुक्त गिरफ्तार

• चोरी 10 मोटर साइकिल बरामद

दिनॉकः13.08.2025 को थाना सरसावा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शमशान घाट के पास से 02 अभियुक्तों 1—विकास 2—निखिल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी 10 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त विकास के विरूद्ध जनपद सहारनपुर के थाना सरसावा पर वाहन चोरी, धोखाधड़ी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सरसावां पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विकास निवासी ग्राम इब्राहिमी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

2–निखिल निवासी ग्राम सुआखेडी थाना सरसावा जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–चोरी 10 मोटर साइकिल।

- **जनपद हाथरस/थाना सासनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कठोर कारावास व 57 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना सासनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/452/504/506 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त रिजवान को आजीवन कठोर कारावास व 57 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

- **कमिश्नरेट लखनऊ/थाना गाजीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

कमिश्नरेट लखनऊ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय लखनऊ द्वारा थाना गाजीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सुमन सिंह उर्फ छोटू को आजीवन कारावास व 33 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

- **जनपद बस्तो/थाना लालगंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बस्ती पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बस्ती द्वारा थाना लालगंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 363/366 भादवि व 06 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त श्रवण उर्फ सरवन को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 35 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

————————